

## महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान शिक्षा पंचालय

(मानव संस्कथन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)

वेदविद्या मार्ग, चिंतामण गणेश, पोस्ट जवासिया, उज्जैन-456006 (म.प्र.)

Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan (Manual RD, Govt. of India)

Vedavidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasiya, UJJAIN- 456006 (M.P.)

दिनांक 7-1-2022

आदेश -1080

विषय – नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों के संबंध में MHA और DOP&T के नए दिशानिर्देश

उपर्युक्त संबंध में प्रतिष्ठान के पूर्व के आदेशों के कम में यह अधिसूचित किया जाता है कि प्रतिष्ठान के अधिकारी और कर्मचारी गृह मंत्रालय के अपने आदेश संख्या 40-3/2020-डीएम-I(ए) दिनांक 27-12-2021 और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/9/2014-स्था.ए-III दिनांक 3 जनवरी, 2022 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए अपने-अपने कार्यों में सम्मिलित हो सकते हैं।

प्रतिष्ठान में नियमित जनशक्ति की अत्यधिक कमी तथा वेद पाठशालाओं एवं GSP इकाइयों को समयबद्ध रूप से हजारों छात्रों, शिक्षकों एवं उनके परिवारों के जीवन यापन के लिए आवश्यक अनुदान राशि के वितरण के मद्देनज़र MoE द्वारा जारी की गई धनराशि को हर महीने की 10 तारीख से पहले पात्र पाठशालाओं और GSP इकाइयों को वितरित किया जाना आवश्यक है। इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि प्रतिष्ठान के कर्मचारी DOPT की सलाह के अनुसार कार्यालय की ड्यूटी में भाग लेने के लिए अलग-अलग समय का पालन करें ताकि भीड़ से बचा जा सके।

इसके अलावा, DOPT के उक्त कार्यालय ज्ञापन में वर्णित अन्य परामशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

प्रति.

1.समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी, मसारावेविप्र

2.सूचनाबोर्ड/वेबसाईट

## MAHARSHI SANDIPANI RASHTRIYA VEDAVIDYA PRATISHTHAN

(Autonomous Organisation under M/o Education, Govt. of India) Vedavidya Marg, Chintaman Ganesh, Post. Jawasiya, Ujjain-456006 (M.P.)

ORDER -1080

Date: 7-1-2022

Subject: New guidelines of MHA & DOP&T regarding preventive measures to contain the spread of Novel Corona virus (COVID-19)

In continuation of Pratishthan's earlier orders in this regard it is notified that the officers and staff of the Pratishthan may attend to their respective work assignments, adhering to the guidelines issued by the MHA vide its order No. 40-3/2020-DM-I(A) dated 27-12-2021 and DOP&T's OM No.11013/9/2014-Estt.A-III dated 3<sup>rd</sup> January, 2022,

In view of the acute shortage of regular manpower in the Pratishthan and disbursement of Grant-in-Aid to the Veda Pathashalas and the GSP Units in a time-bound manner being essential for survival/sustenance of the thousands of students, teachers and their families, funds released by MoE are required to be distributed to the eligible Pathashalas and GSP Units before 10<sup>th</sup> of every month. It has, therefore, been decided that the employees of the Pratishthan may follow staggered timing for attending office duty, as advised by DOPT so that crowding is avoided.

Further, the other advisories detailed in the said OM of DOPT may be strictly followed.

Secretary, MSA VY

To

All Staff/Officers of MSRVVP.

Notice Board/Website